



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 20 नवम्बर, 2024 / 29 कार्तिक, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 नवम्बर, 2024

सं०:पी०बी०डब्ल्यू०(बी०)एफ(5)18 / 2024.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव छकड़ायल, तहसील 176-राजपत्र / 2024-20-11-2024 (7887)

शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में भट्टाकुफर से छकड़ायल मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप-धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 60 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता (शिमला क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, जिला शिमला (हि0प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	रकबा (हेक्टेयर)
शिमला	शिमला (ग्रामीण)	छकड़ायल	605	00-06-91
			606	00-00-96
			608	00-01-58
			773	00-04-78
			773 / 1	00-02-01
कुल जोड़			किता 05	00-16-24

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / -
अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

MPP & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21 September, 2024

File No. MPP-F(10)45/2023-II.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that the Himachal Pradesh Energy Management Centre (HPEMC) established under Section 12 & 14 of the Electricity Act, 2003 and as per the provision contained in Clause 12.5 of the Swaran Jayanti Energy Policy-2021, as notified *vide* this Department notification No.MPP-F(10)45/2023 dated 11-01-2024 is a State Government entity under the MPP & Power Department.

Further, the Governor, Himachal Pradesh is also pleased to order that HPEMC notified *vide* Notification dated 11-1-2024 is a “Deemed Licensee” under the 3rd proviso of Section 14 of the Electricity Act, 2003 and bound by the terms and conditions of licence specified or to be specified by the HPERC under proviso to Section 16 of the Electricity Act, 2003.

Furthermore, the Board of HPEMC is hereby renamed as the “Governing Body” of HPEMC, which shall discharge its responsibilities as provided in the Notification dated 11-01-2024.

By order
Sd/-
(RAKESH KANWAR, I.A.S.),
Secretary (Power).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 22/IX-A/NT/2024

श्रीमती सुमन पुत्री स्व० श्री बलवन्त सिंह, निवासी बकरोटा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा

प्रार्थिया।

बनाम

1. श्री कर्म चन्द पुत्र श्री फीणू, निवासी मनोला, तहसील डलहौजी, 2. श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री फीणू, निवासी मनोला, तहसील डलहौजी, 3. श्रीमती बिमला पुत्री श्री फीणू, निवासी मनोला, तहसील डलहौजी, 4. श्रीमती पून्नी पत्नी श्री फीणू, निवासी मनोला, तहसील डलहौजी, 5. श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री केसरू, निवासी मनोला, तहसील डलहौजी, 6. श्री चूहड सिंह पुत्र श्री केसरू, निवासी मनोला, तहसील डलहौजी, 7. श्रीमती गौरखी देवी पत्नी केसरू, निवासी मनोला, तहसील डलहौजी, 8. श्री दूलो पुत्र श्री खडकू, निवासी मनोला, तहसील डलहौजी, 9. श्री सुख राम पुत्र खडकू, निवासी मनोला, तहसील डलहौजी, 10. श्रीमती रिता देवी पुत्री ज्ञानो, निवासी मनोला, तहसील डलहौजी, 11. श्रीमती रेखा देवी पुत्री ज्ञानो, निवासी मनोला, तहसील डलहौजी, 12. श्री विपन अरोडा पुत्र श्री बृज मोहन, निवासी सुभाष चौक डलहौजी।

प्रत्यार्थीगण।

तकसीम दावा मुहाल मनोला खाता नं० 3/3, कित्ता 10, रकबा तादादी 12-04-00 बीघा, तहसील डलहौजी।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में मौजा मनोला खाता नं० 3/3, कित्ता 10, रकबा तादादी 12-04-00 बीघा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की तकसीम करवाने हेतु दरखास्त गुजारी है। प्रत्यार्थी नं० 2. श्री सुभाष चन्द, प्रत्यार्थी नं० 4. श्रीमती पून्नी को बार-बार समन जारी किये गये लेकिन समन की तामील होने पर भी हाजिर नहीं हो रहे।

इस सम्बन्ध में उपरोक्त प्रत्यार्थी को बजरिया इश्तहार व मुशत्री मुनादी ढोल बजाकर सूचित किया जाए/जाता है कि वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 25-11-2024 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु हाजिर आवें। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा तकसीम में अग्रिम कार्यवाही करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 04-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्रीमती लीला देवी पुत्री मोहन, निवासी टीका मंडीयार, डा0 उटपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST-B&D)Delayed 2024/1-20614, दिनांक 02-10-2024 अनुसार श्रीमती लीला देवी पुत्री मोहन, निवासी टीका मंडीयार, डा0 उटपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 15-07-1958 को हुआ है। लेकिन किसी कारणवश ग्राम पंचायत उटपुर के रिकॉर्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 15-07-1958 दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत उटपुर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती लीला देवी पुत्री मोहन, निवासी टीका मंडीयार, डा0 उटपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 15-07-1958 को ग्राम पंचायत उटपुर के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-11-2024 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 04-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकार एवं नायब तहसीलदार,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र मुंशी राम, निवासी टीका दिम्मी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला
हमीरपुर (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST-B&D)Delayed 2024 / 1-19240, दिनांक 30-09-2024 अनुसार श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र मुंशी राम, निवासी टीका दिम्मी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 12-06-1960 को हुआ है। लेकिन किसी कारणवश ग्राम पंचायत दिम्मी के रिकॉर्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 12-06-1960 दर्ज न हो सका। प्रार्थी अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत दिम्मी में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र मुंशी राम, निवासी टीका दिम्मी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 12-06-1960 को ग्राम पंचायत दिम्मी के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-12-2024 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 05-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकार एवं नायब तहसीलदार,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्रीमती दरूवी देवी पुत्री मुंशी राम, निवासी टीका दिम्मी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST-B&D)Delayed 2024 / 1-19323, दिनांक 01-10-2024 अनुसार श्रीमती दरूवी देवी पुत्री मुंशी राम, निवासी टीका दिम्मी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 01-04-1953 को हुआ है। लेकिन किसी कारणवश ग्राम पंचायत दिम्मी के रिकॉर्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 01-04-1953 दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत दिम्मी में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती दरूवी देवी पुत्री मुंशी राम, निवासी टीका दिम्मी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 01-04-1953 को ग्राम पंचायत दिम्मी के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-12-2024 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 05-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकार एवं नायब तहसीलदार,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्रीमती पुष्पा कुमारी पुत्री मुंशी राम, निवासी टीका दिम्मी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST-B&D)Delayed 2024 / 1-19333, दिनांक 01-10-2024 अनुसार श्रीमती पुष्पा कुमारी पुत्री मुंशी राम, निवासी टीका दिम्मी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 14-04-1964 को हुआ है। लेकिन किसी कारणवश ग्राम पंचायत दिम्मी के रिकॉर्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 14-04-1964 दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत दिम्मी में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती पुष्पा कुमारी पुत्री मुंशी राम, निवासी टीका दिम्मी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 14-04-1964 को ग्राम पंचायत दिम्मी के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-12-2024 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 05-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकार एवं नायब तहसीलदार,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्रीमती जमना देवी पुत्री बृज लाल, निवासी टीका धार, डा0 पटनौण, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST-B&D)Delayed 2024 / 1-20612, दिनांक 21-10-2024 अनुसार श्रीमती जमना देवी पुत्री बृज लाल, निवासी टीका धार, डा0 पटनौण, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 20-06-1965 को हुआ है। लेकिन किसी कारणवश ग्राम पंचायत पटनौण के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 20-06-1965 दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत पटनौण में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती जमना देवी पुत्री बृज लाल, निवासी टीका धार, डा0 पटनौण, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 20-06-1965 को ग्राम पंचायत पटनौण के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-12-2024 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 05-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकार एवं नायब तहसीलदार,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्रीमती राजो देवी पुत्री सीता राम, निवासी टीका डबोह, डा0 बगवाडा, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST-B&D)Delayed 2024 / 1-19319, दिनांक 01-10-2024 अनुसार श्रीमती राजो देवी पुत्री सीता राम, निवासी टीका डबोह, डा0 बगवाडा, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त

रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 06-07-1953 को हुआ है। लेकिन किसी कारणवश ग्राम पंचायत बगवाडा के रिकॉर्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 06-07-1953 दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत बगवाडा में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती राजो देवी पुत्री सीता राम, निवासी टीका डबोह, डा0 बगवाडा, तहसील बमसन स्थित तौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 06-07-1953 को ग्राम पंचायत बगवाडा के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-12-2024 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 05-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

कार्यकारी दण्डाधिकार एवं नायब तहसीलदार,
तहसील बमसन स्थित तौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवम् नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था वृत्त बिझड़,
तहसील ढटवाल (बिझड़ी), जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)**

मिसल नं0 :	तारीख दायर :	किस्म केस :	आगामी पेशी तारीख :
06 / 2024	19-07-2024	नाम दुरुस्ती	26-12-2024

सरोती देवी पुत्री प्रेम सिंह, निवासी महाल घोड़ी तप्पा व तहसील ढटवाल, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बाबत महाल घोड़ी तप्पा व तहसील ढटवाल, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्त करने के सन्दर्भ में।

प्रार्थिया सरोती देवी पुत्री प्रेम सिंह, निवासी महाल घोड़ी तप्पा व तहसील ढटवाल, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में नाम दुरुस्ती के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख महाल घोड़ी तप्पा व तहसील ढटवाल, जिला हमीरपुर में सरोती देवी पुत्री प्रेम सिंह दर्ज है परन्तु शादी के बाद प्रार्थिया ने अपना नाम बदलकर श्रीमती सरोज कुमारी पत्नी रोशन लाल ग्राम पंचायत पड़पालग, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 में दर्ज करवा लिया है। पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने ब्यान हल्फिया व आधार कार्ड, राशन कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर की छायाप्रति पेश की है।

प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना-पत्र में व्यक्त किया है कि उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर राजस्व अभिलेख महाल घोड़ी में उसका नाम सरोती देवी पुत्री प्रेम सिंह के बजाए सरोज कुमारी पुत्री प्रेम सिंह दर्ज किया जावे।

अतः इस इशतहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे आपत्ति हो तो आगामी मिसल सुनवाई दिनांक 26-12-2024 को असालतन या वकालतन 11.00 बजे हाजिर होकर पेश कर सकता है। निर्धारित दिनांक के उपरान्त कोई उजर/एतराज मान्य नहीं होगा।

यह इशतहार/नोटिस आज दिनांक 28-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक सिमाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवम् नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था वृत्त,
बिझड़, तहसील ढटवाल (बिझड़ी), जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 67 / तह / 2024

तारीख पेशी : 23-11-2024

श्री मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री वन्शी लाल, निवासी गांव दन्देल, डा0 धुपकियारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में श्री मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री वन्शी लाल, निवासी गांव दन्देल, डा0 धुपकियारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर हो कर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि मेरी पुत्री मधु कौण्डल का जन्म दिनांक 28-05-1988 को गांव दन्देल, ग्राम पंचायत धुपकियारा, डा0 धुपकियारा, तहसील जयसिंहपुर में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने अपना शपथ पत्र भी संलग्न किया है। परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी व उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपनी पुत्री के जन्म का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत धुपकियारा को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुन्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को मधु कौण्डल की जन्म तिथि 28-05-1988 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-11-2024 को दोपहर 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने का आदेश उप स्थानीय पंजीकार, जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत धुपकियारा को जारी कर दिया जाएगा।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 22-10-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 66 / तह / 2024

तारीख पेशी : 23-11-2024

सुदर्शना देवी पुत्री श्री स्वारू राम, निवासी गांव व डा0 झंमूह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ।
प्रार्थिया ।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी ।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र ।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सुदर्शना देवी पुत्री श्री स्वारू राम, निवासी गांव व डा0 झंमूह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर हो कर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि मेरा जन्म दिनांक 19-04-1963 को गांव झंमूह, ग्राम पंचायत टम्बर, डा0 झंमूह, तहसील जयसिंहपुर में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ पत्र भी संलग्न किया है। परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया व उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत टम्बर को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सुदर्शना देवी पुत्री श्री स्वारू राम, निवासी गांव व डा0 झंमूह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 19-04-1963 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-11-2024 को दोपहर 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने का आदेश उप स्थानीय पंजीकार, जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत टम्बर को जारी कर दिया जाएगा।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 23-10-2024 को जारी हुआ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ।

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 17 / तह / 2024

तारीख पेशी : 23-11-2024

राखी शर्मा पुत्री श्री हंस राज, गांव जीहण, डा0 गदड़ मरेरा, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 वर्तमान पत्नी स्व0 हरीश शर्मा, निवासी महाल हार, डा0 तलवाड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ।
प्रार्थिया ।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी ।

विषय.—मुस्त्री मुनादी व इशतहार राजपत्र बराये विवाह दर्ज करने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में राखी शर्मा पुत्री श्री हंस राज, गांव जीहण, डा0 गदड़ मरेरा, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 वर्तमान पत्नी स्व0 हरीश शर्मा, निवासी महाल हार, डा0 तलवाड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसका विवाह दिनांक 24-02-2011 को हिन्दू रीतिरिवाज से उनकी शादी हरीश शर्मा, निवासी महाल हार, डा0 तलवाड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुई है। वह तब से दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। किन्तु अज्ञानतावश विवाह तिथि को संबन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा सके हैं। अतः अपनी शादी को ग्राम पंचायत सोल वनेहड़ में दर्ज करवाने बारे आवेदन किया है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी को दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-11-2024 को बाद दोपहर 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त शादी को पंजीकृत करने के आदेश सम्बंधित पंजीकार ग्राम पंचायत सोल वनेहड़ को जारी कर दिया जावेगा।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07-10-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

समक्ष नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभडोल,
जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 181 / 2024

तारीख मरजुआ : 01-11-2024

तारीख पेशी : 21-11-2024

श्री सिकन्दर सिंह पुत्र श्री हंस पुत्र भेखा, निवासी महाल डुगहली, डा0 गोलवां, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

दरखास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्री सिकन्दर सिंह पुत्र श्री हंस पुत्र भेखा, निवासी महाल डुगहली, डा0 गोलवां, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने अदालत में दिनांक 25-10-2024 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम सिकन्दर सिंह है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल डुगहली में सकन्दर दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अबाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्व घोषणा पत्र, परिवार नकल व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल डुगहली में प्रार्थी का नाम सकन्दर के स्थान पर सकन्दर उपनाम सिकन्दर

सिंह पुत्र श्री हंस पुत्र भेखा, निवासी महाल दुगहली, डा0 गोलवां, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 21-11-2024 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 04-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

**समक्ष नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभडोल,
जिला मण्डी (हि0प्र0)**

मिसल नं0 : 180 / 2024

तारीख मरजुआ : 01-11-2024

तारीख पेशी : 21-11-2024

श्रीमती शीला देवी पुत्री श्री दुलो राम पुत्र चुहडू, निवासी गांव भरडोण, डा0 बसौना, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

दरखास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्रीमती शीला देवी पुत्री श्री दुलो राम पुत्र चुहडू, निवासी गांव भरडोण, डा0 बसौना, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने अदालत में दिनांक 29-10-2024 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थिया के पिता का वास्तविक नाम दुलो राम है परन्तु प्रार्थिया के पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल भरडोण में दौला राम दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अबाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्व घोषणा पत्र, परिवार नकल, मेडिकल सर्टिफिकेट, पेंशन प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थिया ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल भरडोण में प्रार्थिया के पिता का नाम दौला राम के स्थान पर दौला राम उपनाम दुलो राम पुत्र चुहडू, निवासी गांव भरडोण, डा0 बसौना, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 21-11-2024 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 04-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

समक्ष तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभडोल,
जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 170 / 2024

तारीख मरजुआ : 01-11-2024

तारीख पेशी : 29-11-2024

श्री दीपक ठाकुर पुत्र स्व0 श्री राम सिंह ठाकुर, निवासी मोहाल क्वार, पटवार वृत्त भगेहड, तहसील लडभडोल हाल निवासी मकान नं0 192/5, पैलेस कॉलोनी मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

दरखास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में प्रार्थी श्री दीपक ठाकुर पुत्र स्व0 श्री राम सिंह ठाकुर, निवासी मोहाल क्वार, पटवार वृत्त भगेहड, तहसील लडभडोल हाल निवासी मकान नं0 192/5, पैलेस कॉलोनी मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में दिनांक 25-10-2024 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम दीपक ठाकुर है जोकि प्रार्थी के परिवार रजिस्टर में भी दर्ज हुआ है। परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल क्वार, पटवार वृत्त भगेहड में दीपक कुमार दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अबाहन पत्र तलबाना, स्व घोषणा पत्र, शिक्षा प्रमाण-पत्र, परिवार नकल व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल क्वार, पटवार वृत्त भगेहड में प्रार्थी का नाम दीपक कुमार के स्थान पर दीपक कुमार उपनाम दीपक ठाकुर पुत्र स्व0 श्री राम सिंह ठाकुर, निवासी मोहाल क्वार, पटवार वृत्त भगेहड, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) दुरुस्ती करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29-11-2024 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी का नाम दुरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 06-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

समक्ष तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभडोल,
जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 171 / 2024

तारीख मरजुआ : 01-11-2024

तारीख पेशी : 29-11-2024

श्री दीपक ठाकुर पुत्र स्व0 श्री राम सिंह ठाकुर, निवासी मोहाल क्वार, पटवार वृत्त भगेहड, तहसील लडभडोल हाल निवासी मकान नं0 192/5, पैलेस कॉलोनी मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।
प्रार्थी।

बनाम

दरखास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में प्रार्थी श्री दीपक ठाकुर पुत्र स्व० श्री राम सिंह ठाकुर, निवासी मोहाल क्वार, पटवार वृत्त भगेहड़, तहसील लडभडोल हाल निवासी मकान नं० 192/5, पैलेस कॉलोनी मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि०प्र०) ने इस अदालत में दिनांक 25-10-2024 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम राम सिंह ठाकुर है जोकि प्रार्थी के परिवार रजिस्टर में भी दर्ज हुआ है। परन्तु प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल क्वार, पटवार वृत्त भगेहड़ में भूपिया दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अबाहन पत्र तलबाना, स्व घोषणा पत्र, शिक्षा प्रमाण-पत्र, परिवार नकल, आधार कार्ड व पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने पिता के नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल क्वार, पटवार वृत्त भगेहड़ में प्रार्थी के पिता का नाम भूपिया के स्थान पर भूपिया उपनाम राम सिंह ठाकुर पुत्र पंजका, निवासी मोहाल क्वार, पटवार वृत्त भगेहड़, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि०प्र०) दुरुस्ती करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29-11-2024 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 06-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लडभडोल, जिला मण्डी (हि०प्र०)।

**In the Court of Sh. Mukesh Sharma, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Theog, District Shimla (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Vishwas Sharma s/o Sh. Sita Ram, r/o Village Satbur, P.O. Dhamandri, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).

2. Smt. Priya Sharma d/o Late Sh. Surinder Nath Sharma, r/o Village Chirag House, near Sadar Thana Lower Bazar, Shimla, District Shimla (H.P.) . . Applicants.

Versus

The General Public

. . Respondent.

Proclamation for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Sh. Vishwas Sharma s/o Sh. Sita Ram, r/o Village Satbur, P.O. Dhamandri, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) and Smt. Priya Sharma d/o Late Sh. Surinder Nath Sharma, r/o Village Chirag House, near Sadar Thana Lower Bazar, Shimla, District Shimla (H.P.) have filed an application alongwith affidavits before the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 11-03-2012 and they are living as

husband and wife since then, hence their marriage is to be registered under Special Marriage Act, 1954 under section 15.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 30 days from the date of publication of this notice after that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 05-10-2024.

Seal.

Sd/
(MUKESH SHARMA, HPAS),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Theog, District Shimla (H. P.).

**In the Court of Sh. Mukesh Sharma, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Theog, District Shimla (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Sher Singh s/o Sh. Hari Nand, r/o Village Tikkari, P.O. Dhamandri, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).

2. Smt. Rina Negi d/o Sh. Ram Singh, r/o Village Koti, P. O. Jais, District Shimla (H.P.)
. . *Applicants.*

Versus

The General Public

. . *Respondent.*

Proclamation for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Sh. Sher Singh s/o Sh. Hari Nand, r/o Village Tikkari, P.O. Dhamandri, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) and Smt. Rina Negi d/o Sh. Ram Singh, r/o Village Koti, P. O. Jais, District Shimla (H.P.) have filed an application alongwith affidavits before the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 11-03-2012 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage is to be registered under Special Marriage Act, 1954 under section 15.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 30 days from the date of publication of this notice after that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 05-10-2024.

Seal.

Sd/-
(MUKESH SHARMA, HPAS),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Theog, District Shimla (H. P.).

**In the Court of Sh. Mukesh Sharma, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Theog, District Shimla (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Dheeraj Anand s/o Sh. Bala Nand Anand, r/o Village Ulvi, P.O. Chailla, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).

2. Smt. Harsha Rai d/o Sh. Kuldip Rai, r/o Flat No. 603. Tower No. 14, Royale Estate, Zirakpur, District Mohali, Punjab . . *Applicants.*

Versus

The General Public

. . *Respondent.*

Proclamation for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Sh. Dheeraj Anand s/o Sh. Bala Nand Anand, r/o Village Ulvi, P.O. Chailla, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) and Smt. Harsha Rai d/o Sh. Kuldip Rai, r/o Flat No. 603. Tower No. 14, Royale Estate, Zirakpur, District Mohali, Punjab have filed an application alongwith affidavits before the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 27-04-2021 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage is to be registered under Special Marriage Act, 1954 under section 15.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 30 days from the date of publication of this notice after that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 05-10-2024.

Seal.

Sd/-
(MUKESH SHARMA, HPAS),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Theog, District Shimla (H. P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सरस्वती नगर, उप-तहसील सरस्वती नगर,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सुलोचना पुत्री श्री अमर सिंह, गांव सराजी, डा0 ढाडी रावत, उप-तहसील सरस्वती नगर,
जिला शिमला (हि0प्र0)।

नोटिस बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(2/3) जन्म/मृत्यु दर्ज कराने बारे।

श्रीमती सुलोचना पुत्री श्री अमर सिंह, गांव सराजी, डा0 ढाडी रावत, उप-तहसील सरस्वती नगर हाल पत्नी सुरेन्द्र सिंह, गांव सारी, डा0 हाटकोटी, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में निवेदन किया है कि उसका जन्म गांव सराजी, डा0 ढाडी रावत, उप-तहसील सरस्वती नगर, जिला शिमला (हि0प्र0) में दिनांक 18-09-1978 को हुआ है जो अज्ञानता/घरेलू समस्याओं के कारण अभी तक सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज होना नहीं पाया गया। अतः आवेदिका ग्राम पंचायत कूडडू के अभिलेख में उपरोक्त तिथि व जन्म को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस अदालती इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या आम जनता को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 06-12-2024 तक प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति जाहिर कर सकता है। दीगर सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 07-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर एवम् मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सरस्वती नगर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Balveer Singh s/o Jeevan Singh, r/o Village Bhangari, P.O. Chokar, Tehsil Nohradhar, District Sirmaur (H.P.) have changed my name from Balveer Singh to Balbir Singh.

BALVEER SINGH
s/o Jeevan Singh,
r/o Village Bhangari, P.O. Chokar,
Tehsil Nohradhar, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sita Devi w/o Roop Lal, r/o Village Kathar, P.O. Basal, Tehsil & District Solan (H.P.) have changed my name from Sita Devi to Chitra Kumari Gaha.

SITA DEVI
w/o Roop Lal,
r/o Village Kathar, P.O. Basal,
Tehsil & District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Roop Lal s/o Bir Bahadur, r/o Village Kathar, P.O. Basal, Tehsil & District Solan (H.P.) have changed my name from Roop Lal to Tuk Lal Gaha.

ROOP LAL
s/o Bir Bahadur,
r/o Village Kathar, P.O. Basal,
Tehsil & District Solan (H.P.).